

I/465696/2024

318

आज ही

बैठक दिनांक 09.01.2023संख्या-122/77-4-24

प्रेषक,

अवनीश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
नौएडा/ग्रेटर नौएडा एवं यमुना एक्सप्रेस-वे
औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

औद्योगिक विकास अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 08 जनवरी, 2024

विषय: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हेतु भारत सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रीय योजना-2021 के अन्तर्गत विभिन्न विकास नीतियों/प्रस्तावों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के समन्वय एवं निरीक्षण हेतु मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित स्टेयरिंग कमेटी की सप्तम बैठक के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, गाजियाबाद, उ०प्र० के पत्र संख्या-390/स्टेयरिंग कमेटी/एन०सी०आर०/2023-24, दिनांक 04.01.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो आपको सम्बोधित है, के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हेतु भारत सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रीय योजना-2021 के अन्तर्गत विभिन्न विकास नीतियों/प्रस्तावों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के समन्वय एवं निरीक्षण हेतु मा० मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित स्टेयरिंग कमेटी की सप्तम बैठक दिनांक 09.01.2024 को अपराह्न 04:00 बजे से 05:00 बजे के मध्य लोक भवन स्थित उनके सभाकक्ष में आयोजित किसे जाने के सम्बन्ध में बैठक से सम्बन्धित एजेण्डा की पुस्तक संलग्न कर प्रेषित करते हुए निर्धारित बैठक में अद्यतन सूचनाओं सहित प्रतिभाग किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, गाजियाबाद, उ०प्र० के पत्र दिनांक 04.01.2024 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में प्राधिकरण से सम्बन्धित एजेण्डा के बिन्दुओं पर अद्यतन सूचना

Contd. --- 2

P N-6

शासन को आज ही उपलब्ध कराते हुए प्रकरण से भिन्न अधिकारी को बैठक में निर्धारित समय व तिथि पर प्रतिभाग किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

Digitally Signed by अवनीश
कुमार सिंह
Date: 08-01-2024 13:55:19
Reason: Approved

भवदीय,
(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

कार्यालय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उ०प्र०

द्वितीय तल, नगर निगम भवन, नवयुग मार्केट, गाजियाबाद (उ०प्र०)

पत्रांक: 390

/ स्टेयरिंग कमेटी / एन०सी०आर० / 2023-24

दिनांक: 04-1-2024

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उद्योग/औद्योगिक एवं अवस्थापना विभाग, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
7. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
8. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
9. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
10. आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
11. आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
12. मुख्य कार्यपातक अधिकारी नौएडा, ग्रेटर नौएडा एवं यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
13. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी योजना बोर्ड, नई दिल्ली।
14. अध्यक्ष, नौएडा एवं ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
15. उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण गाजियाबाद/मेरठ/बुलन्दशहर/खुर्जा/हापुड़-पिलखुआ/बागपत-बडौत-खेकडा, मुजफ्फरनगर।
16. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र. लखनऊ।

विषय:-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हेतु भारत सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रीय योजना-2021 के अंतर्गत विभिन्न विकास नीतियों/प्रस्तावों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के समन्वय एवं निरीक्षण हेतु मा० मुख्य सचिव, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में गठित स्टेयरिंग कमेटी की सप्तम बैठक दिनांक 09.01.2024 को अपरान्ह 04:00 बजे से 05:00 बजे के मध्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2 के पत्रांक संख्या-110NCR/आठ-2-2023-12विधि/12 दिनांक 03 जनवरी, 2024 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हेतु भारत सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रीय योजना-2021 के अंतर्गत विभिन्न विकास नीतियों/प्रस्तावों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के समन्वय एवं निरीक्षण हेतु मा० मुख्य सचिव, उ०प्र० की अध्यक्षता में स्टेयरिंग कमेटी की सप्तम बैठक दिनांक 09.01.2024 को अपरान्ह 04:00 से 05:00 बजे के मध्य लोक भवन स्थित मा० मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के समाकक्ष में आयोजित की गयी है।


.....2-

-2-

उक्त के क्रम में बैठक से सम्बन्धित एजेन्डा की पुस्तिका आपको पत्र के साथ इस आशय से संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया उक्त निर्धारित बैठक में अद्यतन सूचनाओं सहित प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-

1. आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2 के पत्रांक संख्या-110NCR/आठ-2-2023-12विविध/12 दिनांक 03 जनवरी, 2024 की छायाप्रति।
2. स्टेयरिंग कमेटी की सप्तम् बैठक दिनांक 09.01.2024 से सम्बन्धित एजेन्डा की पुस्तिका।

महोदया,

 (संयुक्ता समददार)
 आयुक्त

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को मा0 मुख्य सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को मा0 मुख्य सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्री उदय मानु त्रिपाठी, विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2 लखनऊ को उनके पत्रांक संख्या-110NCR/ आठ-2-2023-12विविध/12 दिनांक 03 जनवरी, 2024 के क्रम में अवगत कराना है कि बैठक की कार्यवृत्त तैयार करने हेतु कार्यालय के श्री शिवम कसाना, सहायक अभियन्ता को नामित किया गया है।
5. निदेशक, आवास बन्धु, जनपथ मार्केट, उ0प्र0 लखनऊ।

आयुक्त

I/461983/2024

ई-मेल/बैठक/ दिनांक 09.01.2024

संख्या-110 NCR/आठ-2-2023-12 विधिघ/12

प्रेषक,

उदय भानु त्रिपाठी,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

- | | |
|--|---|
| 1. सदस्य सचिव,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड,
नई दिल्ली। | 2. आयुक्त,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र उ० प्र० प्रभाग,
गाजियाबाद। |
| 3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग, उ० प्र० शासन। | 4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव
लोक निर्माण विभाग, उ० प्र० शासन। |
| 5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास विभाग,
उ० प्र० शासन। | 6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव
ऊर्जा विभाग, उ० प्र० शासन। |
| 7. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव
सिंचाई विभाग, उ० प्र० शासन। | 8. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव
परिवहन विभाग, उ० प्र० शासन। |
| 9. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
वित्त विभाग, उ० प्र० शासन। | 10. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
पर्यटन विभाग, उ० प्र० शासन। |
| 11. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
नियोजन विभाग, उ० प्र० शासन। | 12. आयुक्त,
मेरठ मण्डल, मेरठ। |
| 13. अध्यक्ष,
नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा
विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर। | 14. आवास आयुक्त,
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ। |
| 15. उपाध्यक्ष,

विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद/मेरठ/बुलन्दशहर/खुर्जा/
हापुड़-पिलखुआ/बागपत-बडौत-खेकडा, मुजफ्फरनगर। गौतमबुद्ध नगर। | 16. मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

नोयडा/ग्रेटर नोयडा/यमुना एक्सप्रेस-वे,
औद्योगिक विकास प्राधिकरण, |
| 17. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। | |

File No.8-2099/405/2020- -2-

957

I/461983/2024

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2

लखनऊ:: दिनांक जनवरी, 2024

विषय:-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न विकास नीतियों/प्रस्तावों एवं कार्यक्रमों के समन्वय एवं निरीक्षण हेतु गठित स्टेयरिंग कमेटी की सत्रम बैठक आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न विकास नीतियों/प्रस्तावों एवं कार्यक्रमों के समन्वय एवं निरीक्षण हेतु मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित स्टेयरिंग कमेटी की सत्रम बैठक दिनांक 09.01.2024 को अपरान्ह 04:00 से 05:00 बजे के मध्य लोक भवन स्थित मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के सभाकक्ष में आयोजित की गयी है। कृपया उक्त निर्धारित बैठक में अद्यतन सूचनाओं सहित प्रतिभाग करने का कष्ट करें। बैठक से सम्बन्धित एजेण्डा बिन्दु संलग्न है।

संलग्नक:-यथोक्त।

Digitally Signed by उदय
भानु त्रिपाठी
Date: 03-01-2024 09:49:51
Reason: Approved

भवदीय,
(उदय भानु त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या:-110 NCR(1)/आठ-2-23, तहिनिका

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- आयुक्त, एन.सी.आर. सेल, द्वितीय तल, नगर निगम भवन, नययुग मार्केट, गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त बैठक के सम्बन्ध में बैठक का एजेण्डा संमस्त सम्बन्धितों को 03 दिन के अन्दर निश्चित रूप से उपलब्ध कराने तथा बैठक में उपस्थित रहकर कार्यवृत्त तैयार करने हेतु किसी अधिकारी को नामित करने का कष्ट करें। साथ ही किसी अन्य विभाग से घर्षा/कार्यवाही की आवश्यकता हो, तो उन्हें स्व-स्तर से उक्त बैठक में विशेष आमंत्रि के रूप में आमंत्रित करने का कष्ट करें।

2- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन को सूचनार्थ।

3- निदेशक आवास बन्दु, जनपथ-मार्केट, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त बैठक की सूचना सभी सम्बन्धितों (शासन के अतिरिक्त) को ई-मेल/ दूरभाष के माध्यम से सूचित करने का कष्ट करें, साथ ही बैठक में उपस्थित रहने का कष्ट करें।

4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन।

5- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।

6- निजी सचिव, विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।

संलग्नक:-यथोक्त।

आज्ञा से,

(शीतला प्रसाद)
अनु सचिव।